समाहरणालय गोपालगंज
(जिला गोपनीय प्रशाखा)
ज्ञापांक 755 /सी0 दिनांक 28 .02.2015

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी थानाध्यक्ष,
जिला गोपालगंज।

विषयः— ***सांप्रदायिक जातीय एवं गुटीय रूप से संवेदनशील मुहल्लों तथा स्थलों को चिहिन्त करने के संबंध में।***

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना के फैक्स संवाद संख्या—672/वि0शा0 दिनांक 25.2.2015 की छायाप्रति संलग्न कर भेजते हुए निदेश है कि इस जिले के सांप्रदायिक, जातीय एवं गुटीय रूप से संवेदनशील मुहल्लों तथा स्थलों को चिहिन्त (Mapping) किया जाना है। अतः निदेश है कि सांप्रदायिक, जातीय एवं गुटीय रूप से संवेदनशील मुहल्लों/स्थलों की सूची निम्न विहित प्रपत्र में संयुक्त हस्ताक्षर से दो दिनों के अंदर समर्पित करना सुनिश्चित करें।

क्रमांक	पंचायत का नाम	सांप्रदायिक, जातीय एवं गुटीय रूप से संवेदनशील मुहल्लों/स्थान का नाम	संवेदनशील कब्रिस्तान	भू–विवाद के ज्वलंत लंबित मामले	संवेदनशीलता का कारण	वर्तमान में घटित घटनाओं का विवरण	राजस्व ग्राम का नाम	मुखिया का नाम/मोबाईल संख्या	सरपंच का नाम/मोबाईल संख्या	पंचायत सचिव का नाम/मोबाईल संख्या	राजस्व कर्मचारी का नाम/ मोबाईल संख्या	पंचायत समिति सदस्य का नाम/ मोबाईल संख्या	विकास मित्र का नाम /मोबाईल संख्या	वार्ड सदस्य का नाम / मोबाईल संख्या	उस ग्राम में वैसे व्यक्ति का नाम जो कि ग्राम का नेतृत्व करते हैं। सभी समुदायों से कम–से–कम 5–5 की संख्या में नाम / मोबाईल नंबर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

इस संबंध में पूर्व में प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु दूरभाष पर आपको निदेशित किया गया था, परंतु आपके द्वारा समर्पित प्रतिवेदन अधूरा है। आप भलिभांति अवगत हैं कि होली पर्व अत्यन्त ही संवेदनशील पर्व है और इस पर्व के अवसर पर विधि–व्यवस्था संधारित करना एवं शांति सुरक्षा बनाये रखना अत्यन्त ही आवश्यक है। आपके द्वारा अगर संवेदनशील स्थानों को चिहिन्त करने में उपरोक्त तैयारी नहीं की जाती है तो किसी प्रकार की विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने पर कठिनाई आयेगी। इस परिप्रेक्ष्य में यदि आपके क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई विधि–व्यवस्था से संबंधित घटना घटित होती है तो इस संबंध में आपके विरुद्ध जिम्मेवारी भी निर्धारित की जा सकती है।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

28.2.15

पुलिस अधीक्षक,
गोपालगंज।

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।

ज्ञापांक 755/सी0 गोपालगंज, दिनांक 28.02.2015

प्रतिलिपिः— अनुमण्डल पदाधिकारी, गोपालगंज एवं हथुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पुलिस अधीक्षक,
गोपालगंज।

जिला पदाधिकारी,
गोपालगंज।